निविदा की शर्ते

(प्रयोगशाला हेतु कैमिकल व अन्य उपकरण क्रय से सम्बन्धित)

कार्यालय, निदेशक उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड
जिला पंचायत परिसर, धारानौला, अल्मोड़ा
दूरभाष सं0 : 05962–237746, 230606
ई–मेल : **uttarakhandtea@rediffmail.com**

निदेशक उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड, जिला पंचायत परिसर, धारानौला– अल्मोड़ा द्वारा अपने प्रयोगशाला हेतु वर्ष 2025–26 में कैमिकल व अन्य उपकरणों की आपूर्ति हेतु मूल उत्पादक फर्म या उनके द्वारा अधिकृत विक्रेताओं से निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। निविदायें केवल निर्धारित प्रारूप पर ही स्वीकार की जायेंगी। निविदा प्रपत्र व निविदा से सम्बन्धित शर्ते किसी भी कार्य दिवस में उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड के मुख्यालय, जिला पंचायत परिसर, धारानौला अल्मोड़ा से निर्धारित शुल्क जमा कर दिनांक 19–11–2025 से दिनांक 11–12–2025 तक पूर्वान्ह 12.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

निविदा एवं सामग्री आपूर्ति की शर्ते निम्नानुसार हैं :–

1– आवेदनकर्ता फर्मो/कम्पनियों द्वारा निविदा से सम्बन्धित माँगे गये समस्त वांछित अभिलेखों की मूल प्रति सहित, व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा निदेशक, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड, धारानौला–अल्मोड़ा में निर्धारित समयान्तर्गत प्रस्तुत करनी होंगी। डाक द्वारा भेजे गये प्रपत्रों के यथासमय पर इस कार्यालय में प्राप्त न होने की दशा में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

2– विज्ञप्ति में प्रकाशित टैण्डर प्रपत्र का मूल्य रू0 जी.एस.टी सहित रू0 590.00 (पॉच सौ नब्बे मात्र) निर्धारित किया गया है।

3– निर्धारित तिथि तक प्राप्त निविदाओं को बोर्ड स्तर से गठित कमेटी द्वारा दिनांक 11–12–2025 को पूर्वान्ह 1.00 बजे खोली जायेगी। निविदा मूल उत्पादक कम्पनियों/उनके द्वारा अधिकृत विक्रेताओं से आमंत्रित की जाती है।

4– कैमिकल व अन्य उपकरणों की निविदा में भाग लेने वाली मूल उत्पादक कम्पनियों का वार्षिक टर्न ओवर वित्तीय वर्ष 2024–25 में रू0 1.00 करोड़ से अधिक होना आवश्यक है।

5– धरोहर धनराशि (अर्नेष्टमनी) का राष्ट्रीयकृत बैंक का ड्राफ्ट अथवा एफ0डी0आर0, टी0डी0आर0 रू0 15,000.00 (रू0 पन्द्रह हजार मात्र) जो निदेशक, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड, जिला पंचायत परिसर, धारानौला, अल्मोड़ा के नाम बंधक हो उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी। अर्नेष्टमनी पर विभाग द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा। बिना अर्नेष्टमनी के किसी निविदा पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा। जिन निविदाताओं की दरें स्वीकृत नहीं होंगी उन्हें यह राशि वापस कर दी जायेगी। सफल निविदादाताओं की अर्नेष्टमनी (धरोहर धनराशि) जमानत के रूप में समायोजित कर ली जायेगी।

6– निविदा प्रस्तुत करने वाली गैर सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम फर्म को भी निविदा की सभी शर्तों का शत–प्रतिशत पालन करना अनिवार्य होगा, ऐसा न करने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

7– निविदा में दी गई दर समस्त करों को सम्मिलित कर होनी आवश्यक है।

8– निविदा प्रपत्र के साथ केवल वांछित प्रपत्र ही प्रस्तुत किये जायें, कोई अन्य निवेश/item का साहित्य संलग्न न किया जाय। फर्म के साहित्य को कार्यालय के सम्बन्धित पटल सहायक/अधिकारी को अलग से उपलब्ध कराया जाय।

Ahdz

9– आपूर्ति किये जाने वाले निवेश/item की दरें पैकिंग, जी0एस0टी0, डिलीवरी सहित उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड की प्रयोगशाला रानीखेत रोड़, भवाली (नैनीताल) तक पहुंचाते हुए एफ0ओ0आर0 (डेस्टिनेशन) अंकित की जाये, अर्थात निविदा में सामग्री का जो मूल्य अंकित किया जाय वह जी0एस0टी0, पैकिंग व डिलीवरी सहित समस्त चार्जेज को सम्मिलित करते हुए होनी चाहिए।

10– निविदादाता फर्मों द्वारा जी0एस0टी0 पंजीकरण/आयकर पैन कार्ड इत्यादि का विवरण तकनीकी निविदा भाग– 1 पर अंकित कर समस्त पंजीकरण प्रमाण–पत्रों की प्रमाणित प्रतियां निविदा के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होगी।

11– निविदादाता द्वारा अपने निविदा के साथ जो भी प्रमाण पत्र इत्यादि संलग्न किये जायेंगे, वह हिन्दी अथवा अंग्रेजी में ही संलग्न करने होंगे, अन्य भाषाओं में संलग्न प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होंगे।

12– नियत समय तक प्राप्त निविदाओं को बोर्ड मुख्यालय में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष/अनुपस्थिति की दशा में भी खोला जायेगा।

13– सामग्री की आपूर्ति बोर्ड की आवश्यकता के अनुसार करनी होगी। सामग्री की मॉग अनुमानित है जो कम/ अधिक भी हो सकती है।

14– निविदाऐं विभागीय शर्तो के अनुरूप ही मान्य होगी। फर्मो द्वारा दी गयी अन्य शर्तो पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा। सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

15– समस्त उत्पाद की पैकिंग पर मैन्युफैक्चरिंग व एक्सपाईरी तिथि अंकित होनी आवश्यक है तथा आपूर्ति के समय प्रोडक्ट की कम से कम 12 माह तक वैद्य होनी चाहिए अन्यथा आपूर्ति के उपरान्त सामग्री को स्वीकार नही किया जायेगा।

16– अधिकृत निविदादाता द्वारा एक समय में एक ही फर्म की दरें दी जायेगी। निविदा फार्म में एक से अधिक दी गयी दरें मान्य नहीं होगी ऐसी निविदादाता की समस्त दरें निरस्त समझी जायेगी।

17– निविदादाता फर्म को रसायनों की निर्माता फर्म का लाईसेन्स/प्राधिकार पत्र भी संलग्न करना आवश्यक है।

18– टैण्डर/निविदा को बन्द व खोलने की तिथि को यदि राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो ऐसी दशा में टैण्डर/निविदा को बन्द व खोलने की तिथि हेतु अगला कार्य दिवस निर्धारित होना समझा जाय।

19– निविदा शर्तों के अनुसार सामग्री आपूर्ति न किये जाने की दशा में जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

20– फर्म को किये जाने वाले भुगतान से आयकर व अन्य करों की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

21– निविदा कमेटी की संस्तुति के आधार पर दरें स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार, निदेशक उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड, अल्मोड़ा को होगा, किसी विवाद की स्थिति में निदेशक का निर्णय अंतिम होगा तथा न्यायिक क्षेत्र, अल्मोड़ा होगा।

22– आपूर्ति किये जाने वाले निवेश/item की निविदा के अनुसार प्रत्येक पैकिंग पर मात्रा, उत्पादन तिथि, एक्सपायरी की तिथि, बैच नं0 का अंकन किया जाना आवश्यक है।

23– फर्म द्वारा पूर्ण आपूर्ति न किये जाने/निर्धारित गुणवत्ता/निर्धारित समय/निर्धारित मानकों के अनुरूप आपूर्ति न करने पर फर्म को ब्लैक लिस्ट,, जमानत धनराशि को जब्त कर, अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्वीकृत दरें निविदा सम्पादन की तिथि से आगामी एक वर्ष तक ही प्रभावी रहेंगी।

Ahdz

निदेशक
उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड,
अल्मोड़ा